

**झारखण्ड सरकार**  
**राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग**

सचिका सं०-1/नि०कोर्ट०केस०-13/15.....

सँची, दिनांक-.....

**॥ अधिसूचना ॥**

W.P.(c) No.6184/2014 राज राजेश्वर प्रसाद सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक-19.05.2015 को पारित न्यायादेश के आलोक में निबंधन हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ भूमि की पहचान हेतु संबंधित दस्तावेज भी निबंधन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के संबंध में निम्नांकित आदेश जारी किये जाते हैं :-

1. भूमि से संबंधित दस्तावेजों के साथ भूमि की पहचान हेतु निबंधनार्थियों द्वारा खतियान की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जाएगी। खतियान उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा प्रमाणित पंजी दो (Register II) की प्रति अथवा भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा शुद्धि पत्र, (Correction Slip) दस्तावेज के साथ संलग्न किया जाएगा।

2. भूमि से संबंधित दस्तावेज के साथ हाल सर्वे/नक्शा तथा इसके उपलब्ध न होने की स्थिति में पक्षकार द्वारा तैयार एवं स्वप्रमाणित "नजरी नक्शा" जिसमें भूमि की अवस्थिति के संबंध में पता चल सके, दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

3. अंचलाधिकारी द्वारा प्रमाणित पंजी II (Register II) भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र, शुद्धि पत्र (Correction Slip) प्राप्ति हेतु पक्षकार द्वारा समर्पित आवेदन की प्राप्ति रसीद अंचलाधिकारी द्वारा पक्षकार को निर्गत की जाएगी।

4. आवेदन प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अंदर संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा पक्षकार को संबंधित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा तथा उसकी प्रति ई-मेल द्वारा संबंधित निबंधन पदाधिकारी को भी भेजी जाएगी, जिससे निबंधन पदाधिकारी द्वारा पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे प्रमाण पत्र का मिलान किया जा सके।

5. पन्द्रह दिनों के अंदर अंचलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र नहीं निर्गत किये जाने की स्थिति में निबंधन पदाधिकारी द्वारा यह मान कर निबंधन कार्य संपादित किया जाएगा कि दस्तावेज में वर्णित भूमि पूर्णतः निबंधन योग्य है तथा इसकी सूचना निबंधन पदाधिकारी द्वारा, पक्षकार द्वारा प्रस्तुत अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत प्राप्ति रसीद के आलोक में, संबंधित अंचलाधिकारी को दी जाएगी। उक्त भूमि बाद में प्रतिबंधित भूमि या प्रतिबंधित रैयत की भूमि पाये जाने पर उसका सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अंचलाधिकारी पर होगा।

6. भूमि की पहचान हेतु अंचलाधिकारी द्वारा प्रमाणित "Register II" / शुद्धि पत्र (Correction Slip)/भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत निबंधन पदाधिकारी द्वारा अविलंब निबंधन की कार्रवाई की जाएगी।

इस हेतु विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँची एवं विद्वान महाधिवक्ता, झारखण्ड की सहमति प्राप्त है, साथ ही विभागीय मंत्री का भी अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव,  
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक-1/नि०कोर्ट०केस०-13/15.....

राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव,  
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक-1/नि०कोर्ट०केस०-13/15..... 195

राँची, दिनांक- 19.2.16

प्रतिलिपि-सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी विभागीय सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/ सभी उपायुक्त-सह-जिला निबंधक, झारखण्ड/सभी निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, झारखण्ड/सभी जिला अवर निबंधक एवं सभी अवर निबंधक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव,  
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग,  
झारखण्ड, राँची।